राजस्थान सरकार
आयुक्तालय,कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Phone: 0141-2706847

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 776 Date: 13th May 2019

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (समस्त),
राजस्थान।

विषय :– दिनांक 03–30 जून 2019 तक राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये समरकैम्प प्रोग्राम 2019, कौशल उन्नयन निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देशित बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के संबंध में।

संदर्भ :– आयुक्तालय का पत्रांक CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 736 दिनांक 25.04.2019।

उपरोक्त पत्रांक के संदर्भ में **समर कैम्प प्रोग्राम 2019 ,'कौशल उन्नयन'** के बारे में पुनः लेख है कि.–

1. यथा निर्देशित सभी चयनित कौशल पाठ्यक्रम (अधिकतम तीन) महाविद्यालयों द्वारा अलग–अलग बैच में कुल चार सप्ताह की अवधि के लिये करवाये जाने है।
2. सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर व अग्रेजी भाषा की दो–दो घंटे की कक्षाएं प्रतिदिन करवायी जानी हैं।
3. इसके उपरांत दूसरे सप्ताह से अन्य चयनित कौशल पाठ्यक्रमों की कक्षाएं लगवायी जानी है। यदि किसी महाविद्यालय ने दो, तीन या इससे अधिक कौशल का चयन किया है तो उक्त सभी कौशल क्षेत्रो में अलग–अलग चार घंटे की प्रतिदिन प्रशिक्षण कक्षाएं प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये शेष तीन सप्ताह तक ली जावेंगी।
4. रिसॉर्स पर्सन उपलब्ध नहीं होने की दशा में दिनांक 15 मई 2019 तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे समय रहते राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास कॉरपोरेशन (RSLDC) को अनुरोध किया जा सकेगा।
5. इस समर कैम्प प्रशिक्षण हेतु RSLDC से सहयोग के सन्दर्भ में पुनः है कि इस प्रयोजनार्थ RSLDC केवल उसके द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता ऐजेंसी का पैनल उपलब्ध करवाएगी, जबकि उस सेवा प्रदाता एजेन्सी से सम्पर्क एवं इस प्रयोजनार्थ समस्त भुगतान आदि की प्रकिया संबंधित महाविद्यालय को ही करनी होगी। इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार/विभाग/ RSLDC के द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। साथ ही, इस स्थिति में समस्त व्यवस्थाएं यथा वांछित प्रयोगशाला, साउण्ड सिस्टम तथा सामग्री आदि संबंधित महाविद्यालय को ही करनी होगी।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 776 Date: 13th May 2019

1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, HRD//PI/RUSA/Acad. आकाशि, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को निर्देशानुसार प्रति भेजकर लेख है कि अपने संबंधित महाविद्यालयों से सम्पर्क कर आदेश की कियान्विति करावें।
6. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

13/5/19
डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ